इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए

(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

Committed to professional excellence

खंड संख्या 15 | अंक संख्या 08 | मार्च, 2023 | पृष्ठों की संख्या - 9

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ 2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ 3
विनियामक के कथन 4
आर्थिक संवेष्टन 4
नयी नियुक्तियाँ 5
विदेशी मुद्रा 5
शब्दावली 5
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी 6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां 6
संस्थान समाचार 6
नयी पहलकदमी 8
बाजार की खबरें 8

“इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।”

मुख्य घटनाएँ

यूपीआई- पे नाऊ की सहलग्नता से वैश्विक डिजिटल भुगतान अंतरण बढ़ेगा, स्विफ्ट पर निर्भरता में कमी आएगी

केवल मोबाइल नंबर के साथ तत्काल धन अंतरण करने हेतु दोनों देशों ने अपनी डिजिटल भुगतान प्रणालियों - भारत में एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) और सिंगापुर में पे नाऊ (Pay now) को सहबद्ध कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) सिंगापुर से अनिवासी भारतीयों को उनके अनिवासी विदेशी (NRE) /अनिवासी साधारण (NRO) खातों से एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ का उपयोग करते हुये एक दिन में 60,000 रुपए (लगभग 1,000 सिंगापुर डालर के समकक्ष) निधियाँ डिजिटल रूप से अंतरित करने में समर्थ बननाने हेतु अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरूआत कर दी है। सिंगापुर के अलावा अन्य 9 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), यू॰ के॰, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब और आस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसप्रकार, इससे सीमा-पर वाले भुगतानों के लिए विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (SWIFT) नेटवर्क पर निर्भरता में कमी आ जाएगी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी यात्रियों, अनिवासी भारतीयों को यूपीआई सुविधा प्रदान की

देश में खुदरा डिजिटल भुगतानों के लिए एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) की प्रचुर लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ के उपयोग से संबन्धित सुविधा भारत में आनेवाले विदेशी यात्रियों और अनिवासी भारतीयों तक विस्तारित कर दी है। प्रारम्भ में यह सुविधा चुनिन्दा हवाई अड्डों पर पहुँचने वाले जी-20 देशों के यात्रियों को प्रदान की जाएगी। इन देशों में अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इन्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरियाई गणतन्त्र, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यू॰ के॰, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) तथा यूरोपीय संघ (EU) का समावेश है। देश के अन्य सभी प्रवेश द्वारों (entry-points) तक पहुँचने में शीघ्र ही समर्थ बनाई जाने वाली इस सुविधा से देश में आने वाले उन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को एक ऐसा सीवन-रहित भुगतान अनुभव प्रदान किया जा सकेगा जिसमें उन्हें नकद मुद्रा विनिमय करने के लिए नकदी लाने-ले जाने या उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इससे भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली में और अधिक वृद्धि करने के उद्देश्य को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता को विदेशी मुद्रा का अनधिकृत क्रय-विक्रय/व्यापार करने वाली संस्थाओं के बारे में सचेत किया, चेतावनी सूची जारी की

अनधिकृत इलेक्ट्रानिक क्रय-विक्रय/व्यापार (Trading) प्लेटफार्मों (ETPs) पर विदेशी मुद्रा का लेनदेन करने अथवा इसप्रकार के लेनदेनों के लिए धन प्रेषण/जमा करने से लोगों को संरक्षित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने उन संस्थाओं/कंपनियों की एक अद्यतन की हुई चेतावनी सूची जारी की है जो न तो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (FEMA) के अधीन विदेशी मुद्रा का व्यापार/क्रय-विक्रय करने हेतु प्राधिकृत हैं और न ही विदेशी मुद्रा लेनदेनों के लिए इलेक्ट्रानिक क्रय-विक्रय/व्यापार प्लेटफार्मों को परिचालित करने के लिए प्राधिकृत हैं। उक्त चेतावनी सूची में उन संस्थाओं/कंपनियों/प्लेटफ़ार्मों/वेबसाइटों के नामों का समावेश है, जिन्हें विज्ञापनों के जरिये अनधिकृत संस्थाओं/कंपनियों/इलेक्ट्रानिक क्रय-विक्रय/व्यापार प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने या प्रशिक्षण/परामर्शी सेवाएँ प्रदान करने का दावा करते हुये दर्शाया गया है। इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले निवासियों को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अधीन मानदंडों के तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड सकता है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के संबंध में अंतिम दिशानिर्देश जारी किए

बैंकों के लिए बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (IRRBB) के प्रति उनके एक्सपोजरों को मापना, उन पर निगरानी रखना तथा उनका प्रकटन करना जरूरी है। बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम से आशय है वह वर्तमान या संभाव्य जोखिम जिनका ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ावों के कारण बैंकों की पूंजी एवं उनके अर्जनों पर प्रभाव हो सकता है, इसप्रकार जो उनकी बैंकिंग बही में दर्शाई जाने

वाली स्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं। बैंकिंग बही में अतिशय ब्याज दर जोखिम बैंकों के वर्तमान पूंजी आधार और/अथवा भावी अर्जनों के प्रति उल्लेखनीय जोखिम उपस्थित कर देता है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के संबंध में अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ऋण चुकौती में देरी, चूक के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दंडात्मक प्रभार का निर्णय लिया

किसी ऋण के शोधन में किसी प्रकार की देरी या चूक पर अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्णीत दंडात्मक प्रभार लागू होगा। ये प्रभार एक पारदर्शी विधि से किन्तु ऐसी दंडात्मक ब्याज दर के रूप में नहीं, वसूल किए जाएंगे जिसे प्राय: अग्रिमों पर प्रभारित ब्याज दर में जोड़ दिया जाता है। दंडात्मक ब्याज दर उधारकर्ताओं में ऋण अनुशासन अंतर्निविष्ट करने का एक साधन होता है और इसका उपयोग ऋणदाता/विनियमित संस्थाओं (REs) के लिए राजस्व वृद्धि की एक पद्धति के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये अब दंडात्मक प्रभार मूलधन की बकाया रकम में जोड़े बिना उधारकर्ता से अलग से वसूल किए जाने चाहिए। हालांकि, उधारकर्ता की ऋण जोखिम प्रोफाइल में किसी प्रकार की गिरावट आने पर ऋणदाता ऋण जोखिम प्रीमियम को परिवर्तित कर सकता है।

अब डिजिटल उधारदाई मानदंडों में डेबिट कार्ड ऋणों का समावेश होगा

क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड प्रवर्तन/जारी किए जाने के संबंध में मुख्य/मास्टर निदेश (2022) क्रेडिट कार्डों से संबन्धित समीकृत मासिक किस्त (EMI) कार्यक्रमों को अभिशासित करते हैं, किन्तु इनके अतिरिक्त ऐसे ऋण उत्पादों (जिन्हें मुख्य/मास्टर निदेशों में शामिल नहीं किया गया है) को अब भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल उधारदाई दिशानिर्देशों में शामिल कर लिया गया है। इन उत्पादों में समीकृत मासिक किस्त कार्यक्रमों सहित डेबिट कार्डों पर दिये जाने वाले ऋणों का समावेश है।

डिजिटल उधारदाई दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित संस्थाओं/कंपनियों (REs) को मूल तथ्यों का एक ऐसा विवरण (key fact statement) प्रदान करना होगा जिसमें वार्षिक प्रतिशतता दर, वसूली व्यवस्था के विवरण, डिजिटल उधारदाई मामलों को संभालने वाले अभिहित परिवाद निवारण अधिकारी के विवरण तथा विराम/अवरुद्धता अवधि (cooling off/lock-in period) का समावेश हो। उधारकर्ता द्वारा समस्त ऋण संवितरण, शोधन, चुकौती आदि सह-उधारदाई लेनदेनों के लिए विनियमित संस्थाओं/कंपनियों के बीच धन/मुद्रा के प्रवाह जैसे मामलों को छोडकर किसी प्रभाव अंतरण (pass through) खाते/ किसी अन्य पक्ष के समूह (Pool) खाते के बिना सीधे विनियमित संस्था/कंपनी के बैंक खाते में निष्पादित किए जाने होंगे। जब तक कि वे उधारदाई सेवा-प्रदाता के रूप में भी कार्य न करते हों केवल भुगतान समाकलक (PA) सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं/कंपनियों को डिजिटल उधारदाई दिशानिर्देशों में शामिल नहीं किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को मानदंडों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए उपाय किए

यह महसूस करने के उपरांत कि कुछेक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ (ARCs) भारतीय लेखांकन मानकों को कार्यान्वित करने के बाद प्रबंधन शुल्क के 180 दिनों से अधिक समय से वसूल न होने के बावजूद उक्त शुल्क की पहचान करती आ रही हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को आय निर्धारण मानदंडों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए उपाय किए हैं। तदनुसार, अब पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना करते समय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ निवल स्वाधिकृत निधियों से तथा लाभांश भुगतान के लिए उपलब्ध रकम से भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित रकमें काट लेंगी। जहां प्रतिभूति रसीदों का निवल आस्ति मूल्य उनके अंकित मूल्य से घट कर 50% से कम हो गया हो, वहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को वसूल न हुये प्रबंधन शुल्क को कम करना होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी विप्रेषणों को रिपोर्ट करने हेतु नेफ्ट, आरटीजीएस प्रणालियों में परिवर्तन किए

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत विदेशी अंशदान केवल भारतीय स्टेट बैंक, नयी दिल्ली की मुख्य शाखा (NDMB) के ''विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FCRA) खाते'' में ही प्राप्त किए जाने चाहिए। ये अंशदान विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (SWIFT) के माध्यम से तथा भारतीय मध्यवर्ती बैंकों से राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (NEFT) एवं तत्काल सकल भुगतान/निपटान प्रणालियों (RTGS) के माध्यम से विदेशी बैंकों से सीधे प्राप्त होते हैं।

अब भारतीय रिजर्व बैंक ने गृह मंत्रालय (MHA) की वर्तमान अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये इसप्रकार के लेनदेनों के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण और तत्काल सकल भुगतान/निपटान प्रणालियों में परिवर्तन कर दिया है। तदनुसार, 15 मार्च, 2023 से इस प्रकार के लेनदेनों में दानदाता के विवरण यथा- नाम, पता, उद्‌गम देश, रकम, मुद्रा और प्रेषण का उद्देश्य प्राप्त किए जाने आवश्यक हैं तथा भारतीय स्टेट बैंक को उसकी रिपोर्ट दैनिक आधार पर गृह मंत्रालय को देनी है। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने कोर बैंकिंग/मिडलवेयर (Core banking/middleware) समाधानों में दी गई अंतिम तिथि के पूर्व आवश्यक परिवर्तन कर लें।

विनियामक के कथन

भारत का चालू खाते का घाटा नियंत्रणीय है : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर

भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (FIMMDA) - भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (PDAI) के दुबई में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने साग्रह यह कहा है कि भारत का चालू खाते का घाटा (CAD) नियंत्रणीय है तथा वह व्यवहार्यता के मापदण्डों के भीतर है। जहाँ पण्य निर्यात मंद वैश्विक मांग द्वारा कुछ हद तक प्रभावित हो रहा है, वहीं सुदृढ़ सेवा निर्यात एवं विप्रेषणों के अंतर्वाह द्वारा उसकी भरपाई हो रही है।

श्री दास ने यह भी कहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति के सितंबर, 2022 के 7.41% से घटकर दिसंबर, 2022 में 5.72% रह जाने के बावजूद मुख्य मुद्रास्फीति समस्यामूलक एवं उन्नत बनी हुई है।

औसत बोली-प्रस्तावित दर के दायरे (Bid-Ask Spreads) के समकक्ष राष्ट्रों में सर्वाधिक रहने के परिणामस्वरूप सरकारी बांड बाजार भी आघात-सह (resilient) बना रहा। सरकारी उधारों के उल्लेखनीय रूप से अधिक रहने के बावजूद प्रतिफल वक्र किसी अनुचित अस्थिरता के बिना व्यवस्थित रीति से स्थिर रहा। तथापि, सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) में गौण बाजार की चलनिधि कुछेक प्रतिभूतियों एवं परिपक्वता कालों में संकेंद्रित रही। ब्याज दर व्युत्पन्नी बाजार में मिबोर–आधारित एक-दिवसीय सूचकांकित अदला-बदली (OIS) ही एकमात्र महत्वपूर्ण अनिरुद्ध (liquid) उत्पाद लगता है।

गवर्नर ने यह कहते हुए अपने व्याख्यान का समापन किया कि भारतीय बैंकों द्वारा अपतटीय बाज़ारों में अपनी पहुँच को बढ़ाए जाने, उत्पादों की विस्तार-सीमा विस्तारित होने, घरेलू बाज़ारों में अनिवासियों की सहभागिता बढ़ने तथा पूंजीगत खातों की परिवर्तनीयता में वृद्धि होने के साथ ही भविष्य में अपेक्षाकृत बड़ी चुनौतियाँ उभरेंगी।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई मासिक आर्थिक रिपोर्ट जनवरी, 2023 में प्रमुख आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन निम्नानुसार वर्णित हैं :

- वित्त वर्ष 22 की दूसरी छमाही में सुर्खियों में आई मुद्रास्फीति में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई पड़ने के बावजूद जनवरी, 2023 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति बढ़कर 6.5% हो गई।
- जनवरी, 2023 में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति घटकर 4.74% के 24 माह के कमतर स्तर पर पहुँच गई।
- पीएमआई विनिर्माण, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) तथा मुख्य उद्योगों के सूचकांक (CII) से विनिर्माण गतिविधि के स्थिरतापूर्वक बढ़ने के संकेत प्राप्त होते हैं।
- वित्त वर्ष 24 के लिए भारत के आर्थिक बजट में सकल घरेलू उत्पाद के 6% से भी कम के राजकोषीय घाटे वाली बजटीय व्यवस्था द्वारा आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की गई है।
- पूंजीगत व्यय वाले बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 33% की वृद्धि के साथ उसे 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है।
- नयी वैयक्तिक आय कर प्रणाली (NPITR) में कर स्तरों में औचित्य-स्थापन किया गया है और छूट-सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है।

- वित्त वर्ष 23 के आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 24 के लिए कमतर जोखिमों के साथ 6.5% की वृद्धि दर का संकेत दिया गया है। वित्त वर्ष 24 में भारत के लिए मुद्रास्फीति जोखिमों के अपेक्षाकृत कम रहने की संभावना है।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री के॰ सत्यनारायण राजू	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, केनरा बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	24 फरवरी, 2023 के दिन करोड रुपए	24 फरवरी, 2023 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4641716	560942
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4103554	495906
1.2 सोना	345484	41751
1.3 विशेष आहरण अधिकार	150492	18187
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	42186	5098

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

मार्च, 2023 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें	मुद्रा	दरें	मुद्रा	दरें	मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	4.55	न्यूजीलैंड डालर	4.75	कनाडाई डालर	4.5000	म्यामार रुपया	2.72
जीबीपी	3.9274	स्वीडिश क्रोन	2.899	आस्ट्रेलियाई डालर	3.35	डैनिश क्रोन	2.0170
यूरो	2.398	सिंगापुर डालर	3.6511	स्विस फ्रैंक	0.943507		
जापानी येन	-0.009	हांगकांग डालर	2.29298				

स्रोत : www.fbil.org.in

शब्दावली

भुगतान समाकलक

भुगतान समाकलक (PAs) ऐसी संस्थाएं/कंपनियाँ होती हैं जो वाणिज्य स्थलों और व्यापारियों को उनकी भुगतान संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए व्यापारियों के लिए स्वयं अपनी अलग भुगतान एकीकरण प्रणाली सृजित करने की आवश्यकता के बिना ग्राहकों

से विविध भुगतान लिखत स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करती हैं। भुगतान समाकलक व्यापारियों को अधिग्राहकों (acquirers) से जुडने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में वे ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करते हैं, उन्हें एकत्रित करते हैं तथा एक समयावधि के बाद व्यापारियों को अंतरित करते हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

निवल आस्ति मूल्य (NAV)

निवल आस्ति मूल्य किसी निवेश निधि की आस्तियों का उसकी देयताओं को घटाकर बकाया शेयरो की संख्या द्वारा विभाजित निवल मूल्य होता है। सामान्यत: इसका उपयोग किसी पारस्परिक निधि अथवा शेयर बाजार में खरीदी-बेची जाने वाली निधि (ETF) के लिए परिकलित प्रति शेयर मूल्य के रूप में किया जाता है। इसकी गणना पोर्टफोलियो की प्रतिभूतियों के बंद बाजार मूल्यों के आधार पर प्रत्येक क्रय-विक्रय/ व्यापार दिवस के अंत में की जाती है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मार्च, 2023 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थल
शाखाओं में परिचालन जोखिम नियंत्रित करने, धोखाधड़ियाँ रोकने एवं आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ करने पर कार्यक्रम	2 से 4 मार्च, 2023	प्रौद्योगिकी पर आधारित
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र पर कार्यक्रम	2 से 4 मार्च, 2023	वही
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर संकेन्द्रण के साथ ऋण मूल्यांकन पर कार्यक्रम	2 से 4 मार्च, 2023	वही
प्रमाणित बैंक प्रशिक्षक पर कार्यक्रम	10 से 12 मार्च, 2023	वही
बैंकिंग अनुपालन पर कार्यक्रम	13 से 15 मार्च, 2023	वही
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उधार एवं उनकी पुनरसंरचना पर कार्यक्रम	13 से 15 मार्च, 2023	वही
डिजिटल बैंकिंग में उभरती प्रवृतियों तथा डिजिटल उत्पादों के विपणन पर कार्यक्रम	14 से 15 मार्च, 2023	वही
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में अनुशासन प्रबंधन एवं अनुशासनिक कार्यवाही की कार्यविधियों पर कार्यक्रम	20 से 21 मार्च, 2023	वही

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ द्वारा वार्षिक मानव संसाधन सम्मेलन का आयोजन

संस्थान ने 4 मार्च, 2023 को अपने कारपोरेट कार्यालय, मुंबई में वार्षिक मानव संसाधन सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्य व्याख्यान बैंक आफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक श्री स्वरूप दासगुप्ता द्वारा दिया गया, जिसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा संस्थान की ओर से की गई नयी पहलकदमियों पर एक प्रस्तुतीकरण पेश किया गया। ''वुका वर्ल्ड (VUCA world): मानव संसाधन के लिए आगे का मार्ग तथा बैंकों में प्रतिभा प्रबंधन'' विषय पर एक पैनल विचार-विमर्श का आयोजन किया गया। उक्त पैनल में बैंक आफ इंडिया के मुख्य महा प्रबन्धक श्री ए. के. पाठक, भारतीय रिजर्व बैंक के महा प्रबन्धक श्री मुगुंठन, ऐक्सिस बैंक की ग्रुप सीएलओ सुश्री कर्मिष्ठा मित्रा तथा येस बैंक के मानव संसाधन प्रमुख श्री संग्राम प्रधान का

समावेश था। वुका अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता एवं संदिग्धता का प्रथमाक्षरी नाम है। इस सम्मेलन का आयोजन मानव संसाधन व्यावसायिकों को वुका वातावरण में प्रतिभा का प्रबंधन करने हेतु एक अंतर्दृष्टि प्रदान करना था। इस सम्मेलन में विविध बैंकों के मानव संसाधन प्रमुख उपस्थित रहे तथा अंत: क्रियाशील सत्रों के साथ इसकी अच्छी-ख़ासी सराहना की गई।

आईआईबीएफ ने बैंकिंग एवं वित्त इयरबुक, 2023 का दूसरा संस्करण जारी किया

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने ''बैंकिंग एवं वित्त इयरबुक, 2023'' का बहु-प्रतीक्षित दूसरा संस्करण जारी कर दिया है। यह 31 दिसंबर, 2022 तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रवृत्तियों, विशेषज्ञों के विचारों तथा बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्षेत्रों (verticals) में हुये विनियामक परिवर्तनों के समावेश वाली एक व्यापक सार-पुस्तिका (digest) है। इसके अतिरिक्त, इसमें पाठक को एक हितकर वाचन अनुभव प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण व्याख्यानों के उद्धरण, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के जर्नल बैंक क्वेस्ट में प्रकाशित चुनिन्दा आलेखों को शामिल किया गया है। यह पुस्तक अमैजान पर पेपरबैक रूप मे तथा एक प्रेरक (kindle) संस्करण दोनों ही रूपों में उपलब्ध है। उक्त पुस्तक हमारे प्रकाशक मैसर्स टैक्समैन पब्लिकेशन्स (प्रा॰) लिमिटेड के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर भी उपलब्ध है।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स – अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक पाठ्यक्रम का आयोजन

संस्थान ने जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के साथ एक करार कर रखा है। उक्त पाठ्यक्रम 4-6 घंटों के शिक्षण के समावेश वाले ई-शिक्षण (E-learning) के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसके बाद एक मूल्यांकन सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रमाण पत्र इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए जाएंगे।

आईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी – संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

संशोधित पाठ्यक्रम के अधीन विषयों, परीक्षा के प्रतिमान, विषयों के लिए उपलब्ध होने वाले सम्मान/रुतबों, उत्तीर्णन हेतु समय-सीमा, उत्तीर्णन मानदंड आदि के संबंध में विस्तृत सूचना वेबसाइट पर डाली गई है। इस संबंध में संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पाठ्यक्रम को संशोधित किए जाने की आवश्यकता पर सदस्यों को एक सदेश भी संबोधित किया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ मई/जून, 2023 और उसके बाद से आयोजित की जाएंगी। पुराने पाठ्यक्रम (वर्तमान पाठ्यक्रम) के अनुसार जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के अधीन अंतिम परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर, 2022 के दौरान आयोजित की जाएंगी जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा ''बैंकिंग प्रौद्योगिकी'' : 2022-23 (आईआईबीएफ एवं आईडीआरबीटी की संयुक्त पहलकदमी) में रिसर्च फ़ेलोशिप हेतु आवेदन आमंत्रित

संस्थान ''बैंकिंग प्रौद्योगिकी'' : 2022-23 (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एवं बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (IDBRT) की संयुक्त पहलकदमी) में रिसर्च फ़ेलोशिप हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। बैंकिंग प्रौद्योगिकी में रिसर्च फ़ेलोशिप का उद्देश्य तकनीकी और आर्थिक रूप से संभाव्य ऐसी प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित करना है जिनमें बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से योगदान करने की संभाव्यता विद्यमान हो। आवेदनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा हीरक जयंती एवं सी॰ एच॰ भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF)- 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित

संस्थान हीरक जयंती एवं सी॰ एच॰ भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF)- 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। इस फ़ेलोशिप का उद्देश्य सफल अभ्यर्थी को भारत अथवा विदेशों में बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में अद्यतन घटनाओं पर शोध अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2023 है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा सूक्ष्म एवं स्थूल शोध के अधीन प्रस्ताव आमंत्रित

संस्थान अपने सदस्यों (बैंकरों) को अपनी रुचि के क्षेत्रों एवं उत्तम प्रथाओं पर स्वयं अपने मौलिक विचार, मन्तव्य प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सूक्ष्म शोध 2022-23 हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। संस्थान वर्ष 2022-23 के लिए स्थूल शोध प्रस्ताव भी आमंत्रित करता है। दोनों ही श्रेणियों के तहत आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2023 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के जनवरी – मार्च, 2023 तिमाही के लिए आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: ‘‘Increased Footprints of Financial Planning and Wealth Management.’’

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2023 से जुलाई, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

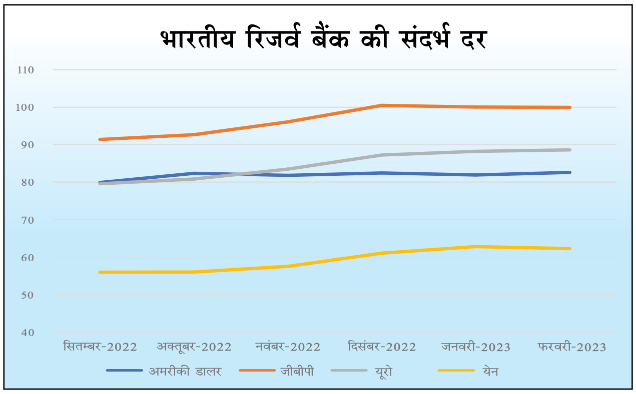

स्रोत: एफबीआईएल

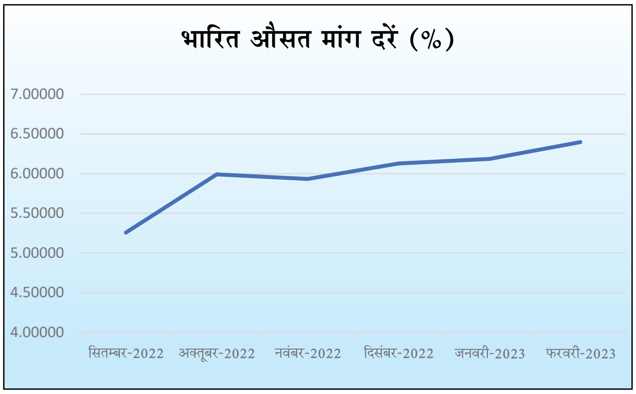

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

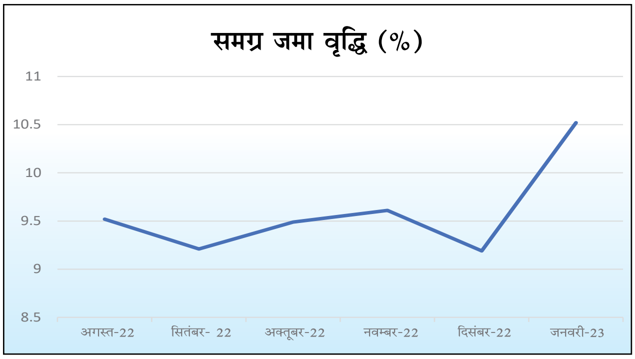

स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, फरवरी, 2023

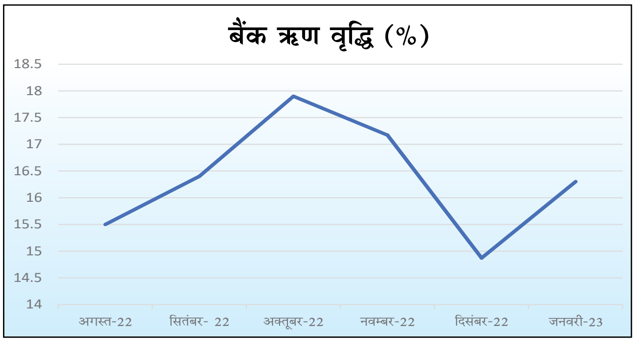

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

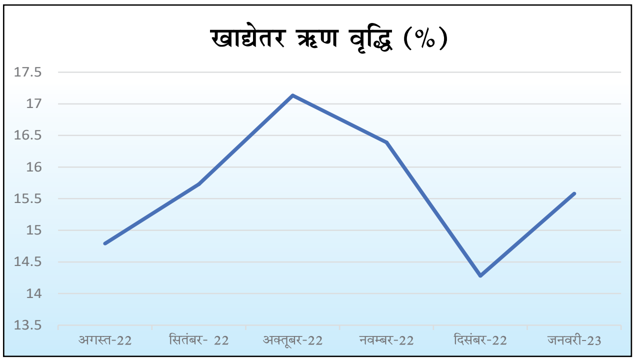

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, फरवरी, 2023

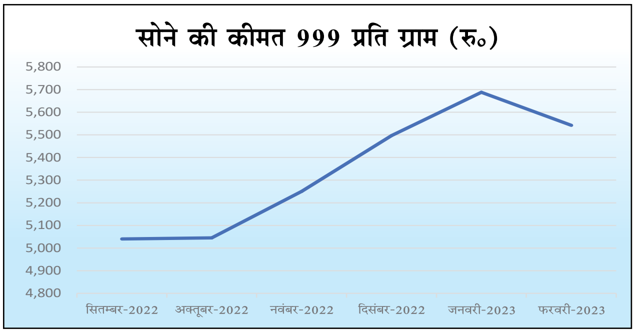

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

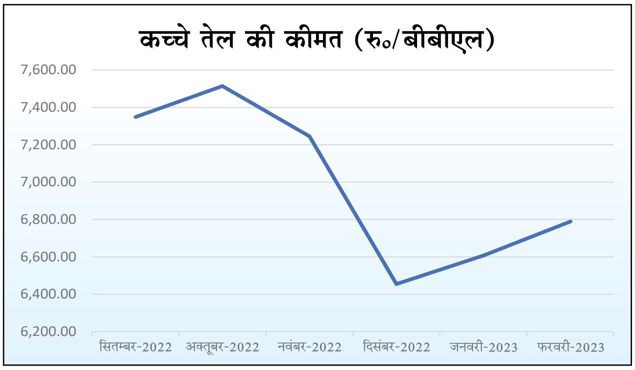

स्रोत : पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

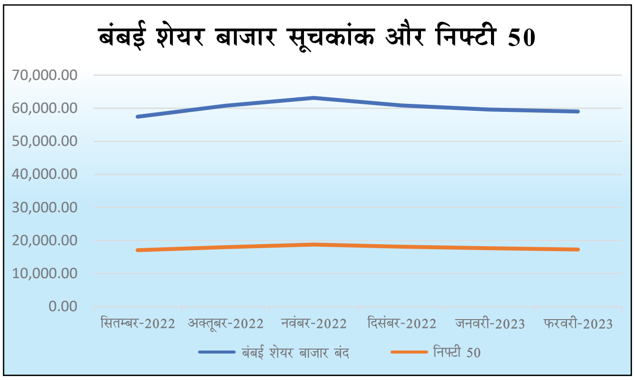

स्रोत : बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in